



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-22.03.2025

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा 05 शातिर अभियुक्तों को चोरी के मुकदमों का अनावरण करते हुए चोरी किये गये माल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर प्रकाश में आये 05 शातिर अभियुक्तों को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. प्रशान्त उर्फ छोटू पुत्र सतीश उर्फ पप्पू निवासी बरगदिया घाट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
2. शहजाद उर्फ चंदा पुत्र मो० इलियास निवासी हाथीखाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ हाल निवासी भूसामण्डी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
3. सचिन उर्फ रिंशू पुत्र सियाराम निवासी ग्वालटोली कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
4. मनोज उर्फ कल्लू पुत्र जगदीशचन्द्र निवासी ग्वालटोली कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
5. शानू पुत्र महेश यादव निवासी ग्वालटोली कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

पूछताछ का विवरण:- पकड़े गये सभी अभियुक्तगण द्वारा अपने जुर्म से इकबाल करते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा० न्यायालय में देना बताया ।

घटना का विवरण:- कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत 01. मु०अ०सं० 006/2025 धारा 303(2) बीएनएस 02. मु०अ०सं० 31/25 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात 03. मु०अ०सं० 14/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात 04. मु०अ०सं० 35/25 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात 05. मु०अ०सं० 66/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात 06. मु०अ०सं० 67/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात तथा थाना राजेपुर पर मु०अ०सं० 29/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात की विवेचना के क्रम में मुखविर की सूचना पर प्रकाश में आये 05 शातिर अभियुक्तों को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 मोटर साइकिल नं० DL 5S AR 4458 सम्बन्धित मु०अ०सं० 67/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ ।
02. 01 मोटर साइकिल नं० UP 76 AB 9893 व 01 टंकी सम्बन्धित मु०अ०सं० 66/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ ।
03. 02 अदद बैट्री सम्बन्धित मु०अ०सं० 14/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ ।
04. 04 अदद सोलर प्लेट सम्बन्धित मु०अ०सं० 29/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना राजेपुर ।
05. 01 बोरी में, 01 गैस सिलेण्डर छोटा व चूल्हा सम्बन्धित मु०अ०सं० 06/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ ।
06. कुल 8220 रुपये नगद ।
07. घटना में प्रयुक्त टैम्पो नं० UP 76 K 9001

अभियुक्त प्रशान्त उर्फ छोटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 06/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु०अ०सं० 14/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
3. मु०अ०सं० 35/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

4. मु0अ0सं0 66/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 31/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 29/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़
7. मु0अ0सं0 17/2024 धारा 13जी एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त शहजाद उर्फ चंदा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 06/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 14/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 35/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 66/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 31/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 29/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 208/23 धारा 380/382/411 भादवि थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 212/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त सचिन उर्फ रिशू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. अ0सं0 29/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त मनोज उर्फ कल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. अ0सं0 67/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त शानू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 29/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 14/15 धारा 379 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 24/15 धारा 379 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 83/15 धारा 379 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 85/15 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 110/21 धारा 324/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 24/11 धारा 457/380/11 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 63/11 धारा 110जी सीआरपीसी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
9. मु0अ0सं0 346/12 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
10. मु0अ0सं0 610/11 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
11. मु0अ0सं0 1340/10 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
12. मु0अ0सं0 861/10 धारा 147/148/149/307 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
13. मु0अ0सं0 591/12 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 श्रीमती रक्षा सिंह ।
2. उ0नि0 श्री किरनपाल नागर ।
3. उ0नि0 राहुल कुमार ।
4. हे0का0 प्रमोद कुमार ।
5. हे0का0 कुलदीप कुमार ।
6. हे0का0 सतीश कुमार
7. का0 सतेन्द्र कुमार ।
8. का0 सचिन कुमार ।
9. म0का0 अंजना ।
10. का0 राहुल माहौर ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 23.03.2025

गैंगेस्टर अभियोग में वांछित शातिर अभियुक्त व गिरोह सरगना को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 0074/2025 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



अभियुक्त का नाम व पता:

1. दुर्विजय उर्फ दुर्विजय सिंह पुत्र स्व० रामनाथ निवासी नयगवाँ (नौगवाँ) थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 17.03.2025 को वादी कि तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0073/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 19.03.2025 को अभियोग से सम्बन्धित पीड़िता/अपहर्ता को बरामद कर उसके मेडिकल परीक्षण व मा0न्यायालय के समक्ष बयान अंकित कराने के उपरान्त अभियोग में धारा 87 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त आकाश पाल पुत्र दिनेश पाल निवासी गडरियन नगला (गढी साकिर अली) बजरिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आकाश पाल उपरोक्त को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण का विवरण-

अभियुक्त आकाश उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं युवती को शादी करने के लिये दिल्ली लेकर गया था। मैंने मन्दिर में शादी कर ली है। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त आकाश पाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0073/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस व 3 /4(2) पॉक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी।
2. उ0नि0 नर सिंह।
3. हे0का0 मनोज कुमार।
4. का0 विपिन बालियान।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

